प्री.बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. टेस्ट के आवेदकों हेतु महत्वपूर्ण सूचनाऐं

(1) राज्य के महाविद्यालयों में संचालित उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीनियर सैकण्डरी परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/ एसबीसी/ दिव्यांग/विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य है। वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में एक अंक कम भी स्वीकार नहीं होगा एवं ऐसा होना आवेदक की अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त कारण होगा।

(2) उपरोक्त नं. 1 के क्रम में यदि आवेदक ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अलावा किसी अन्य बोर्ड से आयोजित सैकण्डरी परीक्षा उतीर्ण की हो तो इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा समकक्षता की मान्यता प्राप्त होने पर ही वह प्रवेश हेतु पात्र होगा (अभ्यर्थी को समकक्षता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा)।

(3) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर से पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सैकण्डरी उतीर्ण आवेदक को भी अन्य शर्तें पूर्ण करने पर प्रवेश योग्य माना जायेगा।

(4) जो आवेदक वर्ष 2018 में सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे है, वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परन्तु उन्हे काउन्सलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह कि सीनियर सैकण्डरी का परीक्षा परिणाम निर्धारित काउन्सलिंग की दिनांक तक नहीं दिये जाने पर अथवा निर्धारित अंक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउन्सलिंग में शामिल नहीं किया जावेगा।

(5) आवेदक ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक की श्रेणी/संकाय/लिंग संबंधी कॉलम पूर्ण सावधानी बरतते हुए भरें। आवेदक द्वारा श्रेणी/संकाय/लिंग संबंधी कॉलम में यदि गलत सूचना दी जाती हैं तो इनमें बाद में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं हो सकेगा एवं ऐसी सूचना को दुर्भावना पूर्वक दी हुई सूचना मानते हुए आवेदन–पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

(6) बी.एड. पाठ्यक्रम/4 वर्षीय बी.ए.–बी.एड./बी.एससी.–बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों के अनुसार सफल अभ्यर्थियों में से संकायवार,श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार कर प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। प्रवेश हेतु चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के चयन की सूचना वेब–साईट पर उपलब्ध करवाई जावेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन सूचना अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा नहीं भेजी जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन के परिणाम, घोषणा की सूचना राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित की जायेगी।इसी प्रकार यथासंभव इसकी जानकारी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में अंकित मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के द्वारा दी जायेगी।

(7) उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय चयन ऑन–लाईन काउन्सलिंग प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। महाविद्यालय चयन हेतु ऑन–लाईन काउन्सलिंग कार्यक्रम की सूचना अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा नहीं भेजी जायेगी। काउन्सलिंग कार्यक्रम सूचना राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित की जायेगी। इसी प्रकार यथांसभव इसकी जानकारी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में अंकित मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के द्वारा दी जायेगी।

(8) अन्य नियम/शर्तें एवं राजस्थान राज्य के निवासियों हेतु आरक्षण नीति,बी.एड. पाठ्यक्रम के प्रवेश नियम राज्य सरकार के नियमानुसार अनुसार रहेगी।